न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : [redacted] आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 01

दायर दिनांक : 03.01.2020

1. रामस्वरूप
2. आत्माराम
3. श्री भगवान

} पुत्रगण स्व0 फुसाराम अकवाम ब्राह्मण निवासीयान चक 44 एन.डी.आर. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

—वादीगण

बनाम

1. इन्द्रचन्द
2. ओमप्रकाश

} पुत्रगण स्व0 दुलीचन्द अकवाम ब्राह्मण (मिश्रा) निवासीयान वसून्धरा अस्पताल के पास, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

3. रमेश कुमार पुत्र मुरलीधर जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड सं. 21 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
4. अन्जू पत्नी राकेश पुत्री मुरलीधर जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड सं. 21 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
5. मन्जू पत्नी कैलाशचन्द्र पुत्री मुरलीधर जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड सं. 21 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
6. कान्ता पत्नी वीए लाल पुत्री बृजलाल जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 21 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
7. ललिता पत्नी जगदीशचन्द्र पुत्री बृजलाल जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड सं. 21 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
8. सुभाषचन्द्र पुत्र बृजलाल जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड सं. 21 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
9. भूपेन्द्र कुमार पुत्र जगदीशचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड सं. 40 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
10. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ बहैसियत प्रतिनिधि भू—धारक

—प्रतिवादीगण

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री धर्मपाल सिहाग, अभिभाषक वादी
2. श्री लेखराज देरासरी, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 व 9
3. प्रतिवादी सं. 8 एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 12.03.2020
4. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय

दिनांक : 13.08.2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने यह ... धारा 53, व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन ... कि वादी व प्रति.सं.

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 17:20:08 IST
Reason: SelfAttested

1 ता 9 के नाम से संयुक्त खाता व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 329/1 की 7.577 है0 बारानी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें वादी सं. 01 व 02 का 2.841 है0 वादी सं. 03 का 0.3783 है0 भूमि खातेदारी दर्ज है। संयुक्त खाता होने के कारण पक्षकारान का आपस में सींव व आसा–पासा तथा बैंक आदि ऋण लेने का विवाद बना रहता है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से खाता विभाजन करवाने का निवेदन किया तो वे स्पष्ट इन्कार हो गये, इसलिए वादीगण ने जैरवाद भूमि का विभाजन कर मुताबिक नजरिये नक्शा कर खाता अलग–अलग कायम कर रकम भी अलग से कायम किये जाने का निवेदन किया।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 ने जरिये अभिभाषक जवाबदावा व प्रतिवादी सं. 9 ने जवाबदावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत कर वाद में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए वाद वादी एवं वाद प्रतिवादी स्वीकार करने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण सं. 8 की तलबी जरिये अखबार करवाने पर भी उपस्थित नही आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। जवाब स्टेट प्रस्तुत नहीं होने पर जवाब स्टेट बन्द किये गये। साक्ष्य पक्षकारान लिये गये। साक्ष्य वादी में वादी ने शपथ–पत्र पर अपने स्वयं के बयान करवाये, जिस पर जिरह शून्य रही। साथ ही वादी ने साक्ष्य में खसरा नक्शा की प्रति पेश की। साक्ष्य प्रतिवादीगण नहीं कराना चाहते, इसलिए साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द किये गये।

विद्वान अभिभाषक वादी ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया व वाद के साथ संलग्न जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति व भूमि के बंटवारा हेतु खसरा सं. 329/1 के नक्शा पदर्श–2 का अवलोकन करवाते हुए मुताबिक नक्शा वादी व प्रतिवादीगण का खाता अलग–अलग कायम कर रकम भी अलग से कायम किये जाने की प्रार्थना की।

विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 व 9 ने जवाब दावा व प्रतिवादा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पक्षकारान के तर्क सुनने के बाद तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 वाके रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 329/1 की 7.577 है0 बारानी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त रकबा में से वादी सं. 3 श्रीभगवान के नाम 0.6313 है0 भूमि दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 9 ने यह भूमि जरिये पंजीकृत दान पा[illegible]ना बताई है। जिसे प्रतिवादी सं. 9 ने पंजीकृत दस्तावेज [illegible] के जरिये [illegible] 3 के नाम अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 17:20:08 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

0.6313 है0 भूमि में से 0.253 है0 बारानी भूमि का खातेदार कृषक घोषित करते हुए मुताबिक पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत नक्शा के आधार पर खाता विभाजन किये जाने का निवेदन किया है। वादीगण ने भी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादी सं. 9 का प्रतिवादा स्वीकार कर खाता विभाजन स्वीकार करने का निवेदन किया। जवाब स्टेट भी प्रस्तुत हुआ जिसमें कोई ऐतराज नही किया गया है। वाद वादी स्वीकार किये जाने से राज्य हितों को कोई नुकसान होना प्रतीत नहीं होता, इसलिए वाद वादी स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादी एवं प्रतिवाद पत्र प्रतिवादी सं. 9 स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 वाके रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 329/1 की 7.577 है0 बारानी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त रकबा में से वादी सं. 3 श्रीभगवान के नाम 0.6313 है0 बारानी भूमि में से प्रतिवादी सं. 9 को 0.253 है0 बारानी भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। वादी सं. 3 श्रीभगवान के नाम दर्ज 0.6313 है0 भूमि में से 0.253 है0 बारानी भूमि कलमजन की जावे तथा साथ ही वादी व प्रतिवादीगण के नाम अंकित उक्त जैरवाद भूमि का खाता विभाजन वादीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा सं. 329/1 के नक्शा पदर्श–2 के मुताबिक किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी में अलग खाता कायम कर, राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने के आदेश तहसीलदार सूरतगढ़ को दिये जाते हैं। नक्शा पदर्श–2 निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। किसी पक्षकार की भूमि यदि रहन तो रहन का अंकन पूर्व अनुसार पक्षकार के नाम के आगे अंकित किया जावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 17:20:08 IST
Reason: SelfAttested

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–::परचा डिक्री::–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :–मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1. रामस्वरूप
2. आत्माराम
3. श्री भगवान

पुत्रगण स्व0 फुसाराम अकवाम ब्राह्मण निवासीयान चक 44 एन.डी.आर. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. इन्द्रचन्द
2. ओमप्रकाश

पुत्रगण स्व0 दुलीचन्द अकवाम ब्राह्मण (मिश्रा) निवासीयान वसून्धरा अस्पताल के पास, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

3. रमेश कुमार पुत्र मुरलीधर जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड सं. 21 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
4. अन्जू पत्नी राकेश पुत्री मुरलीधर जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड सं. 21 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
5. मन्जू पत्नी कैलाशचन्द्र पुत्री मुरलीधर जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड सं. 21 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
6. कान्ता पत्नी वीए लाल पुत्री बृजलाल जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 21 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
7. ललिता पत्नी जगदीशचन्द्र पुत्री बृजलाल जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड सं. 21 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
8. सुभाषचन्द्र पुत्र बृजलाल जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड सं. 21 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
9. भूपेन्द्र कुमार पुत्र जगदीशचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड सं. 40 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
10. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ बहैसियत प्रतिनिधि भू–धारक

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा–53–209 आर.टी. एक्ट मुकदमा नं. 01 वर्ष 2020 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीगण श्री शिशपाल शर्मा, श्री धर्मपाल सिहाग तथा वकील प्रतिवादीगण श्री लेखराज देरासरी के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद वादी एवं प्रतिवाद पत्र प्रतिवादी सं. 9 स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 वाके रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 329/1 की 7.577 है0 बारानी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त रकबा में से वादी सं. 3 श्रीभगवान के नाम 0.6313 है0 बारानी भूमि में से प्रतिवादी सं. 9 को 0.253 है0 बारानी भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। वादी

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 17:20:08 IST
Reason: SelfAttested

सं. 3 श्रीभगवान के नाम दर्ज 0.6313 है0 भूमि में से 0.253 है0 बारानी भूमि कलमजन की जावे तथा साथ ही वादी व प्रतिवादीगण के नाम अंकित उक्त जैरवाद भूमि का खाता विभाजन वादीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा सं. 329/1 के नक्शा पदर्श–2 के मुताबिक किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी में अलग खाता कायम कर, राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने के आदेश तहसीलदार सूरतगढ़ को दिये जाते हैं। नक्शा पदर्श–2 निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। किसी पक्षकार की भूमि यदि रहन तो रहन का अंकन पूर्व अनुसार पक्षकार के नाम के आगे अंकित किया जावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

नोज......x......मुबलिग...... x......बाबत...... x......खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह......x......फस्दों की पालना..... x....आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 13.08.2020 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

(मनोज कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 17:20:08 IST
Reason: SelfAttested